

**SHRI SAUGATA ROY:** How can the Chair justify it?

**SHRI RAJ NARAIN:** The residuary power with the Chair is always there.

**MR. CHAIRMAN:** The hon. the Health Minister.

16.24 hrs.

# STATEMENT RE. DEMANDS OF MEDICAL STUDENTS OF DELHI

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यगण को ज्ञात है कि 17 अप्रैल, 1978 से दिल्ली मेडिकल कालेजों के विद्यार्थी हड़ताल पर हैं। उसी दिन से वह मेरे घर के सामने भी धरना दिये हुए हैं। मैंने मंत्रालय के सचिव से कहा था कि वह विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों से मिलें और उनकी मांगों के बारे में उनसे सहानुभूतिपूर्वक विचार विनिमय करें। स्वास्थ्य सचिव तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों से मिले किन्तु उन के हर संभव प्रयास करने के बावजूद भी विद्यार्थी अब भी जड़ पर अड़े रहे। तत्पश्चात् मैं भी उनके कुछ प्रतिनिधियों से अनेक बार मिला, लेकिन उनके रवैये से लगा कि वह अपनी हर मांग पूरी कराने के लिए किसी प्रकार का समझौता नहीं चाहते हैं। इन मांगों के बारे में तरह तरह की बातें अखबारों में निकल रही हैं, और यह भी कहा गया है कि कुछ अस्पतालों के रेजिडेंट डाक्टर भी 1 मई से दो दिन के लिए सहानुभूति में हड़ताल करेंगे। मैं माननीय सदस्यगणों को बतला देना चाहता हूँ कि ये मांगें क्या हैं और उन को पूरा करने के लिए हम क्या करने को तैयार हैं। हमारा यह दृष्टिकोण रहा है कि जो भी उचित मांगें हों, उन को स्वीकार कर लिया जाये,

लेकिन कुछ मांगें ऐसी हैं, जिन को मानना मेडिकल एजुकेशन की सारी व्यवस्था को अस्तव्यस्त कर देगा होता है।

स्टाइपेंड के विषय में विद्यार्थियों का कहना है कि यह 350 रुपये मासिक से बढ़ा कर 500 रुपये प्रतिमास कर दिया जाना चाहिए। वे उपाधा इसलिए भी कह रहे हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के हास में स्टाइपेंड को 450 रुपये प्रतिमास कर दिया है और उत्तर प्रदेश में भी 400 रुपये हो गया है। मैं भी इस विचार का हूँ कि स्टाइपेंड 450 रुपये तक बढ़ाना चाहिए और मुझे विश्वास है कि इस के बढ़ाने में मैं सफल हो जाऊँगा। किन्तु यह तभी लागू करना सरल होगा, जब ये हड़ताल इत्यादि समाप्त कर के विद्यार्थी अपनी बहाई फिर से प्रारम्भ कर दें।

इस सम्बन्ध में यह भी बतलाना आवश्यक है कि पहले विद्यार्थियों को केवल 225 रुपये मिलते थे, जो बढ़ा कर 275 रुपये किये गये और 1974 की जूनियर डाक्टरों की हड़ताल के बाद 350 रुपये कर दिये गये। यह भी माननीय सदस्यगण ध्यान रखें कि कई राज्यों में, और विशेष कर अधिकांश राज्यों में, इनटर्नीज को किसी प्रकार का स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है। फिर भी, जैसा कि मैंने कहा है, मैं इन्टर्नशिप स्टाइपेंड को बढ़ाने को तैयार हूँ, हालाँकि ये लोग केवल विद्यार्थी हैं और किसी प्रकार के सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

दूसरी मांग यह है कि इनटर्नशिप के दौरान सिक लीव और वर्रिबेन की छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए। इस मांग से भी मुझे सहानुभूति है और इस बारे में मेडिकल काउंसिल और इंडिया को लिखा गया है। इसके बारे में कुछ न कुछ इन्तजाम जरूर हो जायेगा।

[श्री राज नारायण]

विद्यार्थियों का यह भी कहना है कि हाऊस जाब बूड बि कर्नलसड एच बेसिक राइट आफ आल मेडिकल ग्रैजुएट्स, इस मांग को स्वीकार करना हमारे लिए सम्भव नहीं है। प्रत्येक मेडिकल विद्यार्थी को एक साल की इन्टरनशिप करनी पड़ती है, जिस में उन को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि उन की शिक्षा का अंग है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मेडिकल ग्रैजुएट हाऊस सर्जनशिप करे। हाऊस सर्जनशिप यानी जूनियर रेजिडेंटशिप उन्हीं के लिए अनिवार्य है, जो पोस्टग्रेजुएट बनना चाहते हैं। हिन्दुस्तान में 12 हजार मेडिकल ग्रैजुएट प्रतिवर्ष पास होते हैं। यह असम्भव है कि सब के सब को पोस्ट-ग्रेजुएट बना दिया जाये और न ही देश को इतने पोस्ट-ग्रेजुएटों की आवश्यकता है। इस के अलावा 1974 की जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बाद यह तय हो गया था कि जूनियर रेजिडेंट्स की पोस्ट केवल अस्पतालों की आवश्यकता के अनुसार रखी जाये। इसलिए यह किसी तरह भी मुमकिन नहीं है कि प्रत्येक मेडिकल ग्रैजुएट को हाऊस-सर्जनशिप देने के लिए इतने हाऊस सर्जनों के पदों का सृजन किया जाये। यहाँ मैं यह भी बतला देना चाहता हूँ कि मैंने एक समिति नियुक्त की है, जो स्वास्थ्य महानिदेशक की अध्यक्षता में है और जिसमें प्रमुख मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं। यह समिति विचार कर के सुझाव देगी कि इन्टरनशिप और जूनियर रेजिडेंटशिप (हाऊस सरजेंसी) दोनों रखने की आवश्यकता है कि नहीं और यदि है तो इन दोनों में कैसे सामंजस्य लाया जाय, हाऊस जाब भी आ जाय और इंटर्नशिप भी आ जाय, दोनों रहे या दोनों को तोड़ कर हाऊस जाब रखा जाय। जो रहे सारे देश के लिए एक रहे क्योंकि एक जगह बढ़ा दिया जायगा तो सारे देश पर टसन अबन पड़ेगा।

एक मांग यह है कि जब प्रकाश नारायण और जी बी पन्त अस्पतालों में उलने ही हाऊस जाब दिए जाएं जितने गत वर्ष दिए गये थे। गत वर्ष इमरजेंसी के दौरान दिल्ली प्रशासन ने बगैर किसी से पूछे अनुचित तरीके से हाऊस जाब बढ़ा दिए थे और भारत सरकार ने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया था कि भविष्य में ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। फिर भी, इस साल इन अस्पतालों की बढ़ती हुई आवश्यकता को देख कर हमने 13 हाऊस जाब बढ़ा दिए हैं और मुझे बतलाया गया है कि जितने मेडिकल ग्रेजुएट हैं जो इस वर्ष पास हुए उन सब को किसी न किसी प्रकार से दिल्ली प्रशासन ने हाऊस जाब दे दिए हैं।

एक मांग यह है कि लेडी हाडिंग मेडिकल कालेज के स्नातकों के लिए डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के हाऊस जाब प्रारक्षित किए जाएं। यह बता देना आवश्यक है कि मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, लेडी हाडिंग मेडिकल कालेज और यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसिज के हाऊस जाब वहाँ के स्नातकों के लिए रिजर्व रहते हैं, हालांकि मैं इस प्रथा को ज्यादा उचित नहीं समझता हूँ। एक डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल ही है जहाँ हम देश के अन्य स्नातकों को भी हाऊस जाब करने का मौका दे सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ अब भी केवल योग्यता के आधार पर ही भारतीय स्तर पर हाऊस जाब दिए जाने चाहिए।

एक मांग यह है कि आल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज नई दिल्ली में पोस्ट ग्रेजुएट स्टुडेंट्स के स्थान एक तिहाई वहाँ के ग्रेजुएट्स के लिए सुरक्षित रखे जाएं। आल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज एक अखिल भारतीय संस्था है जहाँ योग्य से योग्य मेडिकल ग्रेजुएट्स का अबन करने का

प्रयत्न किया जाता है, यह इंस्टीट्यूट एक प्रखिल भारतीय इंस्टीट्यूट है न कि दिल्ली प्रदेश का इंस्टीट्यूट। इसलिए भारत के प्रत्येक मेडिकल ग्रेजुएट को यह अवसर रहना चाहिए कि वह योग्यता के आधार पर इस में दाखिला पा सके।

यह भी मैं कहना चाहूंगा कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स बिल्कुल भलग भलग चीज है। यह जरूरी नहीं कि कोई ग्रेजुएट यदि ग्राम इंडिया इंस्टीट्यूट में आ जाए तो उसे उसी नाते पोस्ट ग्रेजुएट सीट पर भी अधिकार मिल जाना चाहिए। हमारी कोशिश यह रहती है कि कम से कम 25 प्रतिशत पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स संस्था के स्नातकों को दिए जायें पर यह मानना सर्वथा अनुचित होगा कि कुछ सीटों को उन के लिए बिल्कुल ही प्रारक्षित कर दिया जाय।

एक मांग यह है कि जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत मेडिकल कालेजों में हैं, वे सब मौलाना आजाद, लेडी हाइंग तथा यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज के लिए रिजर्व कर दिए जायें और बाहर से किसी को नहीं लिया जाय। यह बढ़ती हुई प्रान्तीयता की भावना का द्योतक है जिसका मझे खेद है। दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी एक फेडरल यूनिवर्सिटी है। अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को भी कम से कम कुछ सीटें यहां अवश्य मिलनी चाहिए, विशेषतः वे विद्यार्थी जिन के अभिभावकों को राष्ट्र हित में दिल्ली में रहना पड़ता है, जैसे माननीय संसद व्यवस्था ही है। यह भी बताना उचित होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा ही भरी जाती है,

इस में स्वास्थ्य मंत्रालय का कोई हाथ नहीं रहता है।

यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज की समस्याएं :

यह कालेज 1971 में दिल्ली में खोला गया था। उस समय क्योंकि उसे अस्पताल की कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी तो यह तब हुआ था कि जब तक इस के लिए उचित स्थान का प्रबंध न हो तब तक सफदरजंग अस्पताल से क्लिनिकल पढ़ाई की सुविधाएं दी जायें। यही प्रथा अब तक चली आ रही है और सफदरजंग अस्पताल के लिए बड़ी हुई एमर्जेंसी की इमारत भी कालेज को निःशुल्क दे दी गई है जिस की वजह से अस्पताल को स्वयं भी बड़ी दिक्कत उठानी पड़ रही है और रोगियों का बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी कालेज को दिल्ली यूनिवर्सिटी चला रही है जब कि सफदरजंग अस्पताल केन्द्रीय अस्पताल है जहां ग्राम पब्लिक और सी जी एच एस के सदस्यों को भी इलाज के लिए जाना पड़ता है।

1972 और 1975 में यह मामला दो बार मंत्रि-मण्डल के सामने आया और मंत्रि-मण्डल ने यह तब किया कि यह मेडिकल कालेज तथा सम्बन्धित अस्पताल शाहदरे में बना दिये जायें। शाहदरा के लिए पूरी योजना तैयार हो गई है और एक्सपेंडीचर फाइनांस कमेटी ने भी उसको मंजूर कर दिया है। अब यह आखिरी चरण पर है और मंत्रिमण्डल की स्वीकृति मिलते ही शाहदरा में भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। इस समय कालेज तथा अस्पताल दोनों को दिल्ली प्रशासन चलाने के लिए तैयार है। मेरा खयाल है कि यही इस कालेज के लिए उचित व्यवस्था है और इसमें किसी प्रकार की रद्दी बदल करना ठीक नहीं होगा। किन्तु जब तक शाहदरा में भवन तैयार न हो तब तक

[ श्री राज नारायण ]

वर्तमान व्यवस्था बनी रहेगी और समदरजन-अस्पताल में क्लिनिकल पढ़ाई की सुविधा भी जाती रहेगी।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस समय कालेज को तथा उसके विद्यार्थियों को कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन असुविधाओं को दूर करना दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही काम है। फिर भी सरकार अपनी तरफ से पूरी मदद दे रही है और मैं स्वयं इसमें विलंबी ले रहा हूँ। लाइब्रेरी फैसिलिटीज के प्रभाव में मैंने नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी में इन विद्यार्थियों के लिए प्रबन्ध करवा दिए हैं। कैंपटीन और लेक्चर-हॉल को भी इमारत बन रही है। होस्टल की कमी को एक ज़रूरतकालीन है और मैंने निर्माण और प्रावास मंत्री जी से निवेदन किया था कि वे हमें कुछ भवन उपलब्ध करवा दें, जिस में होस्टल खोल सकें, दुर्भाग्यवश वे अब तक हमें भवन नहीं दे पाये हैं और उन्होंने लिखा है कि उन के लिए ऐसा करना कठिन होगा। जो कुछ भी सहायता भारत सरकार दे सकेगी, वह देती रहेगी ताकि इस इन्टर्निंग पीरियड में विद्यार्थियों की कठिनाइयाँ कुछ हद तक कम हो जायें। हमारे मंत्रालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय को यह भी सुझाव दिया कि जितने विद्यार्थियों को समुचित सुविधा दे सकें उतने ही भर्ती करें।

एक मांग यह है कि मेडिकल स्टूडेंट्स अपने कालिजों के निर्णय लेने वाली कमेटियों में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है और मैं सब कालिजों को सुझाव देने को तैयार हूँ कि वे अपनी स्टूडेंट्स कौन्सिलों में विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित करें।

इस प्रकार मासिकीय सम्मेलन देखेंगे कि जो भी विद्यार्थियों की सुनासिब मंजूर

है, हम किसी प्रकार उन को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालांकि उन में से कुछ ऐसी मांगें हैं जिन का स्वास्थ्य मंत्रालय से सीधा सम्बन्ध भी नहीं है। कुछ मांगें ऐसी हैं जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, जिन को मानना हमारे लिए किसी प्रकार भी ठीक नहीं होगा और इस से देश की मेडिकल एजुकेशन व्यवस्था में भी बहुत अस्त-व्यस्तता आयेगी.....

SHRI SAUGATA ROY (Barrack-pore): On a point of order.

MR. CHAIRMAN: There will be no point of order at this stage.

SHRI SAUGATA ROY: Please look at me, otherwise I will keep on standing.

श्री राजनारायण : खर्च भी इतना बढ़ जायगा.....

SHRI SAUGATA ROY: I am on a point of order.

श्री राज नारायण : प्राप सुनियें तो.....

श्री सीतल राय : हम सुनेंगे कैसे ? स्टूडेंट का फैसला थोड़े-ही हुआ है।

श्री राजनारायण : खर्च भी इतना बढ़ जायगा कि सरकार के लिए.....

SHRI SAUGATA ROY: I am again saying I am on a point of order. I require your attention. I am on a point of order under Rule 26. You are taking Private Members time. How can you allow him to take this time. The Minister is making a long statement. I think you should give a ruling.

MR. CHAIRMAN: Minister, please continue.

श्री राज नारायण : खर्च भी इतना बढ़ जायेगा कि सरकार के लिए बहुत

करना कठिन होगा और कुछ अन्य राज्य जहाँ इस प्रकार की सुविधाएँ नहीं दी जाती वहाँ भी माँगें शुरू हो जायँगी और वे भी हम पर और दबें कि केन्द्रीय सरकार इस बड़े हुए खर्च में हाथ बटाये। मुझे खेद है कि इतना सब कुछ करने पर भी विद्यार्थी और इनटर्नी अब भी जिद्द पर अड़े हुए हैं और सरकार पर जबरदस्ती दबाव डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। रेजीडेंट डाक्टरों की ओर से भी नोटिस मिल चुका है कि वे पहली मई से दो दिन के लिए सहायुक्त में हड़ताल करेंगे। इस प्रकार की हड़ताल से सरकार को अनुचित माँगें स्वीकार करने के लिए बाध्य करना सर्वथा अनुचित है और जो भी स्थिति होगी हम उस का सामना करने के लिए तैयार हैं। मुझे केवल इस बात का दुख है कि आम जनता को भी रेजीडेंट डाक्टरों की हड़ताल से परेशानी और कठिनाई बिना बजह उठानी पड़ेगी। मैं संसद सदस्यों से भी अनुरोध करता हूँ कि वे भी अपना "गुड-आफिसिज" इस्तेमाल करें और विद्यार्थी और इण्टर्नीस को समझावें कि जो उनकी उचित माँगें स्वीकार की जा रही हैं उन को मान कर हड़ताल समाप्त कर के अपनी पढ़ाई फिर से आरम्भ करें। सरकार अपने विवेक से औचित्य की कसौटी पर कस कर माँगों को स्वीकार करती है न कि दबाव या धमकी के डर से। दबाव और धमकी से तो समस्याएँ और उलझती हैं सुलझती नहीं।

बस यही मेरा बक्तव्य है।

**सभापति महोदय :** आनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने प्राइवेट-मेम्बर्स के समय में से जितना समय लिया है उतना समय हमें प्राइवेट-मेम्बर्स कार्य के लिए और देना चाहिए। मुझे आशा है—हाउस इसके साथ सहमत होगा। क्या आप की सम्मति है? किसी को इस में विरोध तो नहीं है?

**कुछ सामान्य सदस्य :** कोई विरोध नहीं है।

805 LS—14.

**SHRI SAUGATA BOY:** I rise on a point of order. Rule 26 of the Rules of Procedure clearly says about the precedence of Private Members' Business. You have got Rule 28 and also Rule 26 which deal with the arrangement of Private Members' Business. There is no clause under which you could waive this rule, and allow the Minister to make such a long statement. My second point of order is this. It is with regard to the statement of the Minister. When he first rose to make a statement I thought that this is being done by him under Rule 372, I thought that he was making an important statement to end the strike and that was why I thought he was coming before the House to take away some time from the Private Members' Business so that he could make a good announcement to the House that the strike is ended. It is not so. The strike is continuing. The medicos, the young medical students are continuing to be on strike. Government is not able to solve their demands. The Minister comes here and reads out a five-page statement as to why the strike is not settled and so on. Is it not the Minister's business to see that the strike is settled? He comes to the House with a long statement taking away the time from the Private Members' Business. Let this go on record that I take serious objection to his taking away the time of the Private Members' Business and this peremptory use of the House by the Minister, and his making a statement over a non-issue, over an issue which had been discussed several times in this House, over an issue which is continuing for several days. I request you to look into this and see that this thing is not repeated in future. This is my submission.

**MR. CHAIRMAN:** So far as the right of the Minister to come before the House to make a statement is concerned, as you know, the Minister can always do so. But I do agree that in the midst of the Private Members' business, he can only do so, with the permission of the House and the House did give him the permission.

[Shri Saugata Roy]

Now, so far as the nature of the statement is concerned, the Minister has consulted the Speaker. The hon. Speaker has permitted him to make the statement. And you, too have. The honourable House, would agree that if the Minister gave a statement to the Press, to the effect that he is making certain concessions, the House would have been naturally annoyed, saying when the House is in session, why did the Minister not tell it first in the House, and why did he tell it to the Press. The Minister wanted to take the House into confidence at the first opportunity. This is what prompted him to come to the House. So he sought the Speaker's clearance to make this statement here with the permission of the House and the House did give him the permission.

I do agree with my hon. friend that his statement was rather long. He took almost 20 to 25 minutes. I have already said that we would extend the time of the House by that period for Private Members' Business. Now, Shri Samar Guha.

#### RESOLUTION RE. SETTING UP OF NETAJI NATIONAL ACADEMY— Contd.

MR. CHAIRMAN: Shri Samar Guha.

SHRI SAUGATA ROY: Madam Chairman, since you have made an exception in the case of the Minister, why not you give me a chance to speak on this Resolution?

MR. CHAIRMAN: All right. Have your say, Mr. Roy.

SHRI SAUGATA ROY: Madam Chairman, thank you very much. I commend this Resolution moved by Shri Samar Guha who is one of the longest crusaders for acquiring for Netaji Subhas Chandra Bose, his due place and due recognition and due share in the country's political, educational and economic life.

Shri Samar Guha has moved a very comprehensive Resolution in which he has suggested the setting up of an Academy named after Netaji Subhas

Chandra Bose. If you look at the life and works of Shri Subhas Chandra Bose, two things stand out very clearly (1) his great exploits as the leader and the commander of the Indian National Army and (2) his thinking on economic and political issues that we came to know of through his presidency of the Congress, through his different presidential addresses to the Congress, of his setting up of the Planning Commission under the leadership of the Congress. Madam, both these things, both these aspects are aspects which have not yet been dealt with in full and, in which, proper research has not been done. Professor Guha has, in fact, very aptly pointed out that to-day, to go into the problems of national integration a thorough research, academic research, is necessary because Subhas Chandra Bose's I.N.A. (Indian National Army) was in fact a symbol of national integration as you will find that there were Muslim Generals like Shri Shah Nawaz Khan and others and there were South Indian people like Lakshmi Swaminathan and there were other people from North India like Col. Sehgal and other leaders and the Azad Hind Fauj built abroad, set up abroad, was really a picture of the national army through which Shri Subhas Chandra Bose tried to liberate our country.

Another point stands out very clearly. That is that Shri Subhas Chandra Bose had always an eye for the national integration. In that, he gave three slogans to the Azad Hind Fauj. They were:

'Ittfaq, Atimad and Kurban'.

If I may say so, they were not slogans in Hindi; they were not slogans in Bengali, his own mother-tongue but they were the slogans which would attract the minority community to the Azad Hind Fauj and make them integrate together.

I had rather a rare opportunity of speaking after the Minister's reply and his reply appeared absolutely lacklustre like the whole performance of the Education Ministry in the last one year, if you will permit me in saying.